उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या– 219 / XXVII(7)02 / 2016
देहरादूनः दिनांक 24 सितम्बर, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है को मंहगाई भत्ते का 01 जुलाई, 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–353 / XXVII(7) / 02 / 2016 दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक 01 जुलाई, 2019 से 17% की दर से महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 20 जुलाई, 2021 के कम में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01–07–2021 से उन्हें अनुमन्य मूल वेतन में महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 17% से बढ़ाकर 28% किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. दिनांक 01 जनवरी, 2020 से दिनांक 30 जून, 2021 तक की अवधि में मंहगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 17% ही रहेगी।

4. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

5. उक्त कर्मियों को पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 31 अगस्त, 2021 तक के अवशेष (एरियर) मंहगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जायेगा। दिनांक 01 सितम्बर, 2021 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा। परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी।

6. उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

क्रमशः.....2

संख्या– 219 /XXVII(7)02/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।
13. समस्त अध्यक्ष, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड।
14. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर/देहरादून।
15. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. निदशक, लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
17. निदेशक, आडिट, उत्तराखण्ड।
18. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
19. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव